

अध्याय 5: अन्य रूचिकर मामले

5.1 अनुपालन मामलों से संबंधित सेवा कर

5.1.1 सेवाओं का आयात

वित्त अधिनियम, 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व) की धारा 66ए और सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1) (डी) (जी) में परिकल्पित किया गया है कि जहां कोई सेवा ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसने भारत को छोड़कर विदेश में/करयोग्य क्षेत्र से बाहर कारबार स्थापित किया है, जिसे भारत/करयोग्य क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया, वहाँ सेवा प्राप्त उपलब्ध कराई गई किसी करयोग्य सेवा के संबंध में सेवा कर के भुगतान के लिए दायी होगा।

(i) दिल्ली-एलटीयू कमिश्नरी में मै. जीकेएन ड्राइवलाइन (आई) लिमिटेड के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 2010-11, 2011-12 और 2012-13 वर्षों के लिए निर्धारिती के तुलन पत्र क्रमशः ` 1.42 करोड़, ` 1.37 करोड़, और ` 2.66 करोड़ के व्ययों की प्रतिपूर्ति को दर्शाते हैं। हमने पाया कि व्ययों की प्रतिपूर्ति में मै जीकेएन ड्राइव लाइन कोरिया लिमिटेड, दक्षिण कोरिया के श्री दयोंग वू जंग और मै. जीकेएन ऑटोमेटिव लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम के श्री राज कालरा के प्रभार शामिल थे जोकि सहायक के अन्तर्गत ठेका आधार पर निर्धारिती के लिए कार्य कर रहे थे। तथापि, निर्धारिती ने विदेशी कम्पनियों को किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति पर ` 61.56 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।

हमने फरवरी 2014 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

(ii) जमशेदपुर, कमिश्नरी में मै. टाटा कुमिन्स लिमिटेड के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि निर्धारिती ने 2011-12 एवं 2012-13 की अवधि के लिए मै. कुमिन्स इन्क, यूएसए को अदा की गई रायल्टी के प्रति क्रमशः ` 28.95 करोड़ एवं ` 17.12 करोड़ की राशि की सेवाओं के सकल

मूल्य के लिए विपरीत प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान किया था। तथापि, चूंकि निर्धारिती ने रॉयल्टी के प्रति 2011-12 और 2012-13 की अवधि के दौरान ट्रायल शेष में ` 30.38 करोड़ और ` 17.98 करोड़ को दर्शाया था जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो ` 25.26 लाख था (` 2.28 करोड़ की विभेदक राशि पर संगणित किया गया)।

हमने जनवरी 2014 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

5.1.2 निदेशकों को पारिश्रमिक पर सेवा कर

अधिसूचना, दिनांक 7 अगस्त 2012 के माध्यम से यथा संशोधित अधिसूचना, दिनांक 20 जून 2012 के अनुसार सेवा कर कथित कम्पनी को कम्पनी के निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा या उपलब्ध कराए जाने पर सहमति के संबंध में लागू दरों (विपरीत तंत्र आधार पर) पर उदग्राह्य हैं।

तीन निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि निर्धारितियों ने लेखापरीक्षा में कवर की गई अवधि के अन्तर्गत अपने निदेशक (कों) को पारिश्रमिक का भुगतान किया था। तथापि, सेवा कर विवरणियों और संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कम्पनियों ने पारिश्रमिक भुगतान पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। हमने निष्कर्षों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया है;

तालिका संख्या 12

निदेशकों को पारिश्रमिक पर सेवा कर संबंधी निदर्शी मामलों

निर्धारिती का नाम	कमिश्नरी	अवधि	निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	एसटी देयता*	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
मै. सुप्रीम ट्रीव्स प्राइवेट लिमिटेड	दमन	2012-13	` 5.49 करोड़	` 67.81 लाख	मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि कारण बताओं नोटिस का मामला प्रक्रियाधीन है।
मै. एशिया मोटर वर्क्स लिमिटेड	राजकोट	2012-13	` 2.51 करोड़	` 31.05 लाख	मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि मामला जांच के अन्तर्गत है।

निर्धारिती का नाम	कमिश्नरी	अवधि	निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	एसटी देयता*	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
मै. शिवम मोटर प्राइवेट लिमिटेड	रायपुर	2012-13	₹ 1.55 करोड़	₹ 19.20 लाख	मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती को ₹ 19.20 लाख के लिए एससीएन जारी कर दिया गया है।

* ब्याज और शास्ति छोड़ कर

5.1.3 माल परिवहन एजेंसी सेवाओं पर छूट की अनियमित प्राप्ति

अधिसूचना सं. 26 एसटी, दिनांक 20 जून 2012 में वित्त अधिनियम की धारा 66बी के अन्तर्गत देय सेवा कर के उद्देश्य के लिए प्रज्ञपत की गई सेवा के मूल्य पर कमी/छूट की प्रतिशतता का उल्लेख किया गया है। छूट प्राप्त की गई ऐसी सेवाओं के प्रति यथा उल्लिखित शर्तों के अध्यक्षीन है। माल परिवहन एजेंसी सेवाओं (जीटीए) के मामले में सेवा के मूल्य के 75 प्रतिशत की छूट इस शर्त के अध्यक्षीन थी कि सेवा प्रदाता ने सेनवेट क्रेडिट नियम 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत कर योग्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों, पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त नहीं किया है।

(ii) जमशेदपुर कमिश्नरी में मै. जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान जीटीए सेवाओं पर ₹ 3.18 करोड़ की छूट प्राप्त की थी। चूंकि, निर्धारिती ने सेवा प्रदाताओं से सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति न होने के संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिखाया था इसलिए छूट प्राप्ति सही नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 39.26 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमने इसके बारे में मार्च 2014 में बताया था।

मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि यह मामला की संबंधित रेंज में जांच के अन्तर्गत है। कुछ सेवा प्रदाताओं ने क्रेडिट की प्राप्ति न होने के प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए हैं।

(ii) नोएडा कमिश्नरी में मै. डेन्सो इंडिया लिमिटेड, ऑटो पार्ट्स के विनिर्माता, ने जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान जीटीए सेवाओं पर ` 2.06 करोड़ की छूट प्राप्त की थी। चूंकि, निर्धारितियों ने सेवा प्रदाताओं से सेनवेट क्रेडिट प्राप्त न करने के संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिखाया है, इसलिए छूट की प्राप्ति सही नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ` 25.40 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ था।

हमने इसके बारे में अप्रैल 2014 में बताया था।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि दिनांक 29 फरवरी 2008 के स्पष्टीकरण के अनुसार कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त छूट अधिसूचना सेवा प्रदाता द्वारा छूट का दावा करने अर्थात् सेनवेट प्राप्त न करने के लिए पूर्ण अपेक्षित के रूप में शर्त रखती है। इसलिए, सेवा प्रदाता द्वारा प्रमाण की प्रस्तुति 1 जुलाई 2012 से छूट प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है। इसके अलावा, मंत्रालय ने जमशेदपुर कमिश्नरी से प्राप्त किए गए प्रमाणपत्रों की चल रही जांच की पुष्टि की है।

5.1.4 आर एण्ड डी उपकर का अनियमित समायोजन

अधिसूचना, दिनांक 10 सितम्बर 2004 ने धारा 66 के अन्तर्गत भुगतान योग्य सेवा कर के प्रति भुगतान किए जानेवाले अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) उपकर के समंजन की अनुमति दी। जब तक अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर 2011 प्रभावी नहीं होगी तब तक उपकर की राशि का छूट के लाभ लिए जाने से पहले भुगतान किया जाना था। अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर 2011 में अनुबद्ध किया गया कि छूट अनुज्ञेय है यदि उपकर का बीजक की तारीख से या सहयोगी उद्यमों के मामले में लेखा बही में क्रेडिट की तारीख से छः माह के अन्दर भुगतान कर दिया गया हो।

चेन्नई III कमिश्नरी में मै. लक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि निर्धारिती ने सेवा प्रदाता के रूप में भारत के बाहर की उनकी नियंत्रक कम्पनी और दूसरी सहयोगी कम्पनियों द्वारा दी गई

विभिन्न सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान कर दिया था। अक्टूबर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान निर्धारिती ने उद्धृत प्रावधानों का अनुपालन किए बिना छूट के लाभ लेते हुए बौद्धिक सम्पदा सेवा पर अपनी सेवा कर देयाता का छोड़ दिया था। हमने ` 54.17 लाख के सेवा कर के परिणामी कम भुगतान के बारे में बताया।

हमने फरवरी 2014 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि ` 4.22 लाख के ब्याज सहित ` 13.60 लाख की राशि अब तक वसूल की गई थी। शेष राशि के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा है।

5.1.5 सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर 1 जून 2007 से अचल सम्पत्ति को किराए पर देने पर उदग्राह्य है। इसके अलावा, 1 जुलाई 2010 से वित्त अधिनियम, 1994 में जोड़ी गई धारा 65(105) (जेडजेडजेडजेड) की व्याख्या (v) के अनुसार, “अचल सम्पत्ति” में खाली भूमि, कारबार या वाणिज्य के प्रोत्साहन के उपयोग करने हेतु बाद में इमारत या अस्थायी संरचना के निर्माण के लिए पट्टे या लाइसेंस पर दी गई भूमि शामिल है। इसके अलावा, जेएस (टीआरयू-II) पत्र सं. डी.ओ.एफ.सं. 334/1/2010-टीआरयू दिनांक 26 फरवरी 2010 के अनुबंध-बी के पैरा 10 के माध्यम से विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवा कर खाली भूमि के किराए पर भी देय है यदि पट्टाकार और पट्टेदार के बीच यह करार या ठेका है कि ऐसी भूमि पर निर्माण पट्टे की अवधि के दौरान कारबार या वाणिज्य के प्रोत्साहन के लिए किया जाना है। फिर से यथा संशोधित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के अनुसार सेवा कर उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के लिए सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल राशि पर देय है। इस प्रकार, सेवा कर अग्रिम प्राप्त होते ही देय है।

हल्दिया कमिश्नरी में मै. महाभारत मोटर्स मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (एमएमएमसीपीएल) कोलकाता एसटी कमिश्नरी में पंजीकृत थी क्योंकि यह अपने विनिर्माण गतिविधियों की सहित अचल सम्पत्ति सेवाओं को

किराए पर दे रही थी। 2011-12 की अवधि के लिए भूमि की लाइसेंसिंग और करार पर तुलन पत्र तथा प्रीमियम की खाता बही की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक गैसों के उत्पादन और संवितरण के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए लाइसेंस देने हेतु मै. बीओसी इंडिया लिमिटेड से अग्रिम के रूप में ` 6.00 करोड़ की राशि प्राप्त की थी। हमने पाया कि निर्धारिती ने इस प्रकार प्राप्त की गई राशि पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ` 61.80 लाख के सेवा कर भुगतान नहीं हुआ।

हमने मार्च 2014 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)

5.2 कारण बताओ नोटिस जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप राजस्व हानि

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 में इसमें निर्दिष्ट किए गए निर्धारित समय में सेवा कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर विचार किया गया है। इसके अलावा, दिनांक 10 फरवरी 1997 के परिपत्र के माध्यम से बोर्ड ने इस मामले पर दोबारा अपने क्षेत्रीय फार्मेशनों को वर्तमान अनुदेश दिए।

गुडगांव कमिश्नरी में मोटर वाहन पार्टों के विनिर्माण में लगे मै. मुंजाल शोवा लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि सेवा कर कमिश्नरी, दिल्ली ने अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2008 की अवधि के लिए ` 79.17 लाख और मई 2008 से मार्च 2010 तक की अवधि के लिए ` 4.53 करोड़ की सेवा कर मांग को छोड़ दिया था। दिया गया कारण यह था कि मामले काल-बाधित हो गए थे क्योंकि कारण बताओ नोटिस केवल क्रमशः 8 सितम्बर 2009 और 8 अक्टूबर 2010 को जारी किए गए थे। निर्धारित समय में कारण बताओ नोटिस जारी न करने के परिणामस्वरूप ` 5.33 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हमने फरवरी 2014 में इसके बारे में बताया।

विभाग ने सूचना दी (जून 2014) कि संदर्भाधीन मामले पर आयुक्त (एसटी) दिल्ली द्वारा निर्णय दिया गया था, इसलिए कोई दोबारा टिप्पणी नहीं दी जा सकी थी।

हमने देखा कि विभाग का उत्तर विभागीय चूक के लिए दिए गए इस कारण पर मौन है कि कारण बताओ नोटिस को देरी से क्यों जारी किया गया था?

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

5.3 उपकर के भुगतान के प्रति मूल उत्पाद शुल्क पर सेनवेट क्रेडिट गलत उपयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 के उप-नियम 7(बी) के अनुसार मूलभूत उत्पाद शुल्क के सेनवेट क्रेडिट को शिक्षा उपकर के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

5.3.1 गुड़गांव कमिश्नरी में मै. एच.डी. मोटर कम्पनी इंडिया के ई आर-1 विवरणियों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 के दौरान शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के भुगतान के प्रति मूल उत्पाद शुल्क पर अदा किए गए ₹ 24.50 लाख के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया था।

हमने मार्च 2014 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर निर्धारिती को ₹ 2.56 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

5.3.2 इसी प्रकार, गुड़गांव कमिश्नरी में स्पार्क प्लगस के विनिर्माण में लगे मै. एनजीके स्पार्क प्लगस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की ईआर-1 विवरणियों की संवीक्षा पर हमने पाया कि निर्धारिती ने 2010-11 से 2012-13 के वर्षों के दौरान ₹ 43.04 लाख के सेनवेट क्रेडिट का गलत रूप से उपयोग किया था जैसाकि पहले दृष्टान्त में बताया गया है।

2014 की रिपोर्ट संख्या 33 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

हमने मार्च 2014 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय ने सूचना दी (अक्टूबर 2014) कि ` 63.92 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस निर्धारिती को जारी कर दिया गया है।

5.4 अन्य मामले

उपरोक्त चर्चा किए गए दृष्टान्तों के अलावा हमने 103 मामले भी देखें जिसमें ` 7.12 करोड़ का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर/ब्याज का गैर/कम भुगतान शामिल था। मंत्रालय/विभाग ने उन 51 मामलों में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जहां ` 1.98 करोड़ के राजस्व निहितार्थ को इंगित किया गया था। मंत्रालय/विभाग ने इन मामलों में से 49 में ` 2.26 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) की वसूली सूचित की।

संजीव गोयल

नई दिल्ली
दिनांक: 26 नवम्बर 2014

(संजीव गोयल)
प्रधान निदेशक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली
दिनांक: 26 नवम्बर 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक